प्रेषक

महानिदेशक सैकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला

सेवा में

1. निदेशक SCERT, हरियाणा, गुरुग्राम
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी
3. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
4. राज्य के सभी प्राचार्य, DIET/BITE/GETTI

यादि क्रमांक 1/120-2018 C600/644
दिनांक: 19.12.2018

विषय: **MIS पोर्टल पर कर्मचारियों के डाटा का शुद्धीकरण ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

जैसा कि आपको विदित है कि विभाग द्वारा MIS पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा इक्कठा किया गया था । तदुपरांत विभिन्न ट्रान्सफर ड्राइव्स के माध्यम से अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गए लेकिन कुछ अध्यापकों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण पदोन्नति व् अन्य कारणों से ऑफलाइन जारी किये गए व् इनमे से कुछ अध्यापकों व कर्मचारियों का डाटा MIS पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया ।

इस प्रकार के स्थानान्तरण / पदोन्नति डाटा को अपडेट करने हेतु विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / राजकीय विद्यालयों के मुखियाओं से उनके संस्थान/विद्यालय में MIS पोर्टल अनुसार कार्यरत कर्मचारियों/ अध्यापकों का डाटा ऑनलाइन वेरीफाई करवाया जाये । जिसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / राजकीय विद्यालयों के मुखिया से अनुरोध है कि नीचे दी गयी हिदायतों का पालन करते हुए डाटा वेरीफाई करने का कष्ट करें: -

1. क्षेत्रीय कार्यालयों / राजकीय विद्यालयों के MIS अकाउंट में दिए गए Data Updation के नये menu / लिंक पर क्लिक करें ।

2. इसके उपरांत खुलने वाले नये पेज पर सम्बंधित संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों / अध्यापकों की सूचि दिखाई देगी जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के नाम के आगे Yes / No का आप्शन दिखाई देगा ।

3. उपरोक्त सूचि में अंकित यदि कोई कर्मचारी / अध्यापक उनके संस्थान में कार्यरत नहीं है, तो उसके नाम के सामने 'NO' आप्शन का चुनाव करें तथा Click here to save option पर क्लिक करें तथा आगे दिखाई जाने वाली हिदयातों का पालन करते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेट submit करें ।

4. यह ध्यान रहे कि 'NO' आप्शन का चुनाव केवल उसी कर्मचारी / अध्यापक के लिए किया जाना है जो उस संस्थान में कार्यरत नहीं है । यदि कोई कर्मचारी / अध्यापक लम्बी छुटी पर, निलंबित या विभाग के किसी अन्य विद्यालय/ संस्थान में

प्रतिनियुक्ति आदि पर है, तो उस कर्मचारी / अध्यापक को अपने संस्थान में ही कार्यरत समझें । यदि कोई कर्मचारी / अध्यापक राज्य परियोजना परिषद के अधीनस्थ या राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है तो ऐसे अध्यापकों व् कर्मचारियों को विद्यालय में कार्यरत नहीं समझा जाना चाहिए ।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही सभी कार्यालयों / विद्यालयों के मुखिया द्वारा दिनांक 25.12.2018 तक की जानी सुनिश्चित की जाये । जो विद्यालय/ कार्यालय 25.12.2018 तक उपरोक्त सूचना अपडेट करके सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो यह समझ लिया जायेगा की उनके विद्यालय की स्टाफ स्टेटमेंट बिलकुल सही है । किसी भी गलत जानकारी के लिए सम्बंधित संस्थान का मुखिया जिम्मेवार होगा इसलिए जानकारी देते समय पूरी सतर्कता बरती जाये ।

किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 01725206666 पर किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 9.00 से सायं 5.00 बजे पर कॉल की जा सकती है ।

उपनिदेशक आई टी
कृते: महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक -सम- दिनांक: 19.12.2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ ।
2. निजी सचिव / महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।
3. निजी सचिव / निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।

उपनिदेशक आई टी
कृते: महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला